संख्या 379/ 2013/02(120)/XXVII(8)/2013

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड।

विभाग : वित्त (अनुभाग–8) दिनॉकः देहरादूनः 25 मार्च, 2013

विषयः वित्तीय वर्ष 2013–2014 के लिऐ प्रान्त बाहर से आयात की गई रेत, बजरी, रोड़ी (ग्रिट) व स्टोन डस्ट (जिन्हें आगे "उपखनिज" कहा जाएगा) की राज्य में की गई बिक्री पर देय कर के बदले "उपखनिज" के प्रति टन वजन के आधार पर समाधान राशि के संबंधी समाधान योजना में।

महोदया,

शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (2) के अन्तर्गत, प्रान्त बाहर से आयात की गई रेत, बजरी, रोड़ी (ग्रिट) व स्टोन डस्ट (जिन्हें आगे "उपखनिज" कहा जाएगा) की राज्य में की गई बिक्री पर देय कर के बदले "उपखनिज" के प्रति टन वजन के आधार पर समाधान राशि स्वीकार किये जाने हेतु समाधान योजना लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है।

उक्त हेतु शासन के दिशा–निर्देश, शर्तें एवं प्रतिबन्ध एवं अनुबन्ध पत्र तथा शपथ पत्र के प्ररूप आपको आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किये जा रहे हैं, कृपया शासन के उक्त निर्णय का प्रचार–प्रसार अपने स्तर से कराना सुनिश्ति करें।

संलग्न– उपरोक्तानुसार

भवदीया,

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव।

उत्तराखण्ड राज्य में प्रान्त के बाहर से आयातित रेत, बजरी, रोड़ी (ग्रिट) व स्टोन डस्ट के सम्बन्ध में दिनांक 01.04.2013 से दिनांक 31.03.2014 की अवधि के लिए समाधान योजना लागू करने हेतु शासन के दिशा निर्देशः–

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा–7 की उपधारा (2) के प्रावधानों के अन्तर्गत निर्देशित किया जाता है कि प्रान्त बाहर से आयात की गई रेत,बजरी, रोड़ी (ग्रिट) व स्टोन डस्ट (जिन्हें आगे ''उपखनिज'' कहा जाएगा) की राज्य में की गई बिक्री पर देय कर के बदले ''उपखनिज'' के प्रति टन वजन के आधार पर समाधान राशि, निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन करनिर्धारण प्राधिकारी द्वारा स्वीकार की जा सकती है।

शर्ते एवं प्रतिबन्ध :–

1– यह योजना वैकल्पिक होगी और केवल पंजीकृत व्यापारी ही इस योजना का विकल्प अपना सकते हैं। इसका विकल्प अपनाने हेतु, योजना लागू होने के 30 दिन के अन्दर अथवा ''उपखनिज'' का आयात प्रारम्भ करने के 30 दिन के अन्दर, निर्धारित प्ररुप में शपथपत्र सहित, संलग्न प्ररुप–722 में प्रार्थनापत्र सम्बन्धित करनिर्धारण प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकेगा। समाधान योजना का विकल्प अपनाने के बाद विकल्प को वापस लेने का अधिकार नहीं होगा।

2– समाधान राशि ₹ 40 प्रति टन की दर से होगी और यह मासिक आधार पर सम्बन्धित मास की समाप्ति के अगले माह की 10 तारीख तक देय होगी। समाधान राशि विलम्ब से जमा करने पर 15 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज देय होगा। योजना अपनाने वाले व्यापारियों को वास्तविक आयात, समाधान राशि, जमानत राशि आदि के विवरण संबंधी **रूपप्रपत्र**(जो 'कमिश्नर' द्वारा निर्धारित किया जायेगा), संबंधित माह के अगले माह की 10 तारीख तक, नकद राशि के जमा के साक्ष्य सहित प्रस्तुत करना होगा।

विकल्पधारी को उक्त रूपपत्र तथा फार्म 16 के आवेदन के साथ वांछित विवरण के अलावा कोई अन्य सावधिक रुपपत्र अथवा हिसाब किताब प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी। इस सम्बन्ध में कोई नियमित वार्षिक करनिर्धारण नहीं किया जाएगा, केवल समाधान राशि का वार्षिक आंकलन किया जाएगा।

3– फार्म–16 पर ''उपखनिज'' के वजन का इन्द्राज करना अनिवार्य होगा।

4– कार्यालय से फार्म–16 प्राप्त करने हेतु विकल्पधारी को प्रति फार्म ₹ 360 नकद जमानत जमा करना होगा। प्रत्येक फार्म–16 से आयात हेतु अधिकतम सीमा 9 टन होगी। कार्यालय द्वारा फार्म–16, **''दस टन तक, रेत, बजरी, रोड़ी अथवा स्टोन डस्ट के, आयात हेतु''** की मुहर लगा कर जारी किया जाएगा। एक वाहन से 9 टन से अधिक ''उपखनिज'' आयात करने की दशा में एक से अधिक फार्म–16 का प्रयोग किया जा सकता है।

प्रत्येक बार फार्म–16 प्राप्त करते समय उस समय तक के वास्तविक आयात, जमानत राशि, समाधान राशि से समायोजन आदि का विवरण आयुक्त कर द्वारा निर्धारित प्ररूप में, उस समय तक प्रयुक्त फार्म 16 की मूल प्रतियों सहित करनिर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

5— उक्त के होते हुये, यदि घोषित से अधिक ''उप खनिज'', के आयात का तथ्य पाया जाता है, तो इस आधार पर, घोषित ''उपखनिज'' पर देय समाधान राशि के अतिरिक्त, अघोषित रुप से आयात किए गए ''उपखनिज'' एवं उसकी बिक्री को वैट अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत न्याय एवं विवेक से निर्धारित किया जा सकेगा। साथ ही अर्थदण्ड आदि की अन्य कार्यवाही भी की जायेगी।

6— विकल्पधारी ब्यौहारी किसी व्यापारी से समाधान राशि के बदले में, ऐसे ''उपखनिज'' के विक्रय पर कर के रुप में, इसे कोई भिन्न या छ्दम नाम दे कर कोई राशि नहीं वसूलेगा और उसके क्रय पर कोई इनपुट टैक्स का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

7— योजना को व्यवहारिक व उपयोगी बनाने के उद्देश्य से कमिश्नर वाणिज्य कर आवश्यक निर्देश जारी कर सकते हैं जिसका अनुपालन विकल्पधारी एवं करनिर्धारण अधिकारी को करना होगा। योजना के विवाद के सम्बन्ध में कमिश्नर वाणिज्य कर का निर्णय अन्तिम होगा।

8— विकल्प प्रार्थना पत्र विलम्ब से प्रस्तुत करने की स्थिति में ''कमिश्नर'' को यह अधिकार होगा कि वह, विलम्ब का संतोषजनक कारण होने पर, विलम्ब को माफ कर सकें।

भवदीया,

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव, वित्त।

प्ररुप–722

आयतित रेत, बजरी, रोड़ी व स्टोन डस्ट के लिए समाधान योजना हेतु विकल्प का प्रार्थना पत्र

(उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 7 की उपधारा (2) के अन्तर्गत)

(अवधि–दि0 01.04.2013 से दि0 31.03.2014 तक)

सेवा में,

असिस्टेंट कमिश्नर / डिप्टी कमिश्नर(करनिर्धारण),
वाणिज्य कर,
खण्ड / रेंज

महोदय,

मैं .....पुत्र श्री..... सर्वश्री..... जिसका मुख्यालय..... पर स्थित है, तथा जिसे उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत वाणिज्य कर कार्यालय..... द्वारा पंजीयन प्रमाण पत्र संख्या(TIN).....आवंटित है और जो दिनांक..... से प्रभावी है, का स्वामी / साझीदार / प्रबन्ध निदेशक / अधिकृत प्रतिनिधि हूँ। मैं यह प्रार्थना पत्र उक्त प्रतिष्ठान / फर्म की ओर से प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैंने तथा मेरे प्रतिष्ठान / फर्म के सभी संबंधितों द्वारा आयतित **रेत, बजरी, रोड़ी व स्टोन डस्ट** की बिक्री पर देय कर के बदले, धारा 7(2) के अन्तर्गत शासन द्वारा निर्धारित समाधान राशि निर्धारित किये जाने संबंधी समाधान योजना एवं उसकी शर्तों एवं प्रतिबन्धों को पढ़ लिया है। योजना की शर्ते एवं प्रतिबन्ध मुझे मान्य हैं उन्हीं के आधीन मैं, अपनी फर्म / प्रतिष्ठान हेतु **सलंग्न** शपथ पत्र / अनुबन्ध पत्र के अनुसार समाधान धनराशि स्वीकार किये जाने का विकल्प प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करता हूँ।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

हस्ताक्षर.....

पूरा पता.....

प्रस्थिति.....

—:शपथ पत्र/अनुबन्ध पत्रः—

मैं..... पुत्र श्री..... आयु..... वर्ष,..... ..... (पूरा पता) स्थायी निवास..... ....., शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि:—

1— मैं फर्म/प्रतिष्ठान .....जिसका मुख्यालय..... पर स्थित है, और जिसका टिन सं0.....प्रभावी दिनांक..... है, का स्वामी/साझीदार/प्रबन्धक निदेशक/अधिकृत प्रतिनिधि..... (प्रास्थिति) हूँ तथा मैंने यह शपथ पत्र अपने उक्त प्रतिष्ठान की ओर से, उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर आनियम, 2005 की धारा 7(2) के प्राविधानों के अन्तर्गत, उत्तराखण्ड शासन द्वारा, राज्य के बाहर से आयतित रेत, बजरी, रोड़ी व स्टोन डस्ट हेतु दिनांक 01 अप्रैल, 2013 से दिनांक 31 मार्च, 2014 की अवधि लिए, जारी समाधान योजना का विकल्प प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

2— उक्त संबंध में शासन द्वारा जारी समाधान योजना में अंकित निर्देशों तथा शर्तो को हमने सावधानी पूर्वक पढ़ लिया है और वे मुझे एवं हमारे प्रतिष्ठान/फर्म में सभी हितबद्ध व्यक्तियों को मान्य है। मेरा प्रतिष्ठान/फर्म इस शपथ पत्र/ अनुबन्ध में दी गयी शर्तो का अनुपालन करने, शासन अथवा आयुक्त कर द्वारा लगाये गये प्रतिबन्धों अथवा दिये गये निर्देशों का पालन करने तथा अपने दायित्वों को निर्वहन करने के लिए बाध्य होगा। योजना में दिये गये निर्देशों, लगायी गयी शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन न किये जाने की दशा में राज्य सरकार अथवा वाणिज्य कर विभाग द्वारा योजना में उल्लिखित कार्यवाहियां मेरे प्रतिष्ठान/फर्म के विरूद्ध कर सकेंगे।

मैं घोषणा करता हूँ कि इस शपथ पत्र/ अनुबन्ध पत्र में वर्णित सभी तथ्य मेरी जानकारी तथा विश्वास में पूर्ण तथा सत्य है, उसमें कोई भी तथ्य गलत या अपूर्ण नहीं है न कोई संगत तथ्य छिपाया गया है।

हस्ताक्षर.....
पूरा पता.....
प्रास्थिति.....

—:प्रमाणीकरणः—

मैं उक्त शपथ पत्र/ अनुबन्ध पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ तथा उनके द्वारा घोषित उक्त फर्म/प्रतिष्ठान में उनकी प्रास्थिति सत्य है। इस प्रार्थना पत्र पर उन्होंने मेरे समक्ष हस्ताक्षर किये है।

(प्रमाणीकरण करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर मोहर सहित)

पूरा नाम.....

पिता का नाम.....

पूरा पता.....